Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

➢ एसीबी द्वारा गठित एसआईटी ने आज जल जीवन मिशन मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

जयपुर, दिनांक 17 दिसम्बर, बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एक एसआईटी का गठन कर आज जल जीवन मिशन से संबंधित कार्यवाही करते हुए आरोपी **महेश कुमार मित्तल, (प्रोपराईटर– गणपति ट्यूबेल) हेमन्त मित्तल उर्फ गोलू (पुत्र महेश कुमार मित्तल)** उमेश कुमार शर्मा, मेनेजर/लाईजनिंग ऑफिसर (**श्याम ट्यूबेल**), गोपाल कुमावत तत्कालीन लेखाधिकारी, पीएचईडी, पीयूष जैन पुत्र पदम चन्द जैन (**प्रोपराईटर– श्याम ट्यूबेल**) को आज एसीबी द्वारा गिरफ्तार किया गया।

मुकदमा नम्बर 215/23 जिसमें श्याम ट्यूबेल, पदम चन्द जैन (प्रोपराईटर) व गणपति ट्यूबेल, महेश कुमार मित्तल (प्रोपराईटर) माया लाल सैनी, पीएचईडी के अधिशाषी अभियंता, खण्ड बहरोड़, राकेश चौहान सहायक अभियंता, उपखण्ड नीमराना व प्रदीप कुमार कनिष्ठ अभियंता, उपखण्ड नीमराना से मिलीभगत कर जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट में निविंदा संख्या 15/21–22 व 33/21–22 प्राप्तकर्ता फर्म मैसर्स श्री गणपति ट्यूबेल एवं श्री श्याम ट्यूबेल के प्रोपराईटर्स एवं पीएचईडी विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत कर प्राप्त किया था व इन्होनें कार्य में अनियमितता व घटिया कार्य कर मनमानी तरीके से मेजरमेन्ट बुक भरकर राजकोष से करोड़ो रूपये प्राप्त किये। इन सभी लोगों की आपसी टेलीफोनिक वार्ता एसीबी द्वारा रिकॉर्ड की गई है जिसमें इनकी मिलीभगत होने के साक्ष्य मिले है और इनके द्वारा राजकोष से अनियमितता कर राशि प्राप्त कर व विभागीय अधिकारियों को रिश्वत देकर अनुचित निजी लाभ कमाया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. द्वारा जल जीवन मिशन के सभी मामलों को त्वरित अनुसंधान कर व उक्त मामलें में सभी मुलजिमों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश करने हेतु **श्री महावीर सिंह राणावत, पुलिस अधीक्षक** की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया गया है। जिसमे **अति. पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु कुलदीप, श्री भूपेन्द्र, श्री महावीर प्रसाद शर्मा** शामिल कर तुरन्त निस्तारण की कार्यवाही करते हुए समस्त ट्रॉन्सक्रिप्ट वार्ताओं, एफएसएल से प्राप्त तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण गहनता पूर्वक किया गया है।

महानिदेशक एसीबी ने बताया कि एसीबी द्वारा पूर्व में भी 6 व्यक्तियों को जल जीवन मिशन की एसीबी की कार्यवाही के तहत औचक निरीक्षण किया गया। जिनके विरूद्ध बाद अनुसंधान न्यायालय में चालान पेश किया गया। उक्त कृत्य में शेष रहें मुलजिम फरार थे जिनमें से आज 5 मुलजिम/आरोपी महेश कुमार मित्तल, (प्रोपराईटर– गणपति ट्यूबेल) हेमन्त मित्तल उर्फ **गोलू (पुत्र महेश कुमार मित्तल)** उमेश कुमार शर्मा, मेनेजर/लाईजनिंग ऑफिसर (**श्याम ट्यूबेल**), गोपाल कुमावत तत्कालीन लेखाधिकारी, पीएचईडी, पीयूष जैन पुत्र पदम चन्द जैन (**प्रोपराईटर– श्याम ट्यूबेल**) को आज गिरफ्तार किया गया है इन सभी ने पूर्व में पीएचईडी अधिकारियों से वार्ता कर **2 लाख बीस हजार रूपये** रिश्वत राशि का लेन–देन किया था एवं राजकोष से यह राशि प्राप्त की थी।

जिस पर आज दिनांक 17.12.2025 को **डॉ. रामेश्वर सिंह उप महानिरीक्षक पुलिस–प्रथम** एवं **श्री महावीर सिंह राणावत, पुलिस अधीक्षक, एसीबी के सुपरविजन में जयपुर नगर–प्रथम के अति. पुलिस अधीक्षक श्री भूपेन्द्र** एवं मय टीम द्वारा आरोपीगणों को तकनीकी आधार पर पतरासी कर जयपुर शहर के अलग–अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपीयो से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्जकर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।